न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:–157/2014
निर्णय दिनांक:–28.01.2025
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

मजीदन बनाम हमीद वगै0

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री पंकज जैन अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 लगा0 7

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:–28.01.2025

पत्रावली वास्ते पेश करने संशोधित शीर्षक व जबाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 27.01.2025 को न्यायलय मे सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 हाजिर अदालत आये। वादी/प्रार्थी के अधिवक्ता व स्वंय वादी/प्रार्थी को आवाज दिलाई। वादी/प्रार्थी की और से कोई हाजिर अदालत नही आये। रूक – रूक कर बार – बार आवाज दिलाई गई। वादी/प्रार्थी की और से कोई उपस्थित नही आये। वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी ने वादी का वाद सिविल प्रकिया संहिता की धारा आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज करने का निवेदन किया तथा बताया की प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त प्रकरण पूर्व मे दिनांक 09.07.2014 को प्रस्तुत कर एकतरफा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर लिया है। उक्त प्रकरण को वादी द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया है तथा 10 वर्ष का समय हो चूका है लेकिन वादी/प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही की जा रही है। ना वादी के अधिवक्ता न्यायालय मे हाजिर होते है। इसलिये वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद सिविल प्रंकिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर मनन करने पर पाया कि वादी द्वार उक्त प्रकरण 09.07.2014 को प्रस्तुत किया गया है। किन्तु वादी/प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नही की जा रही हैं। जिससे स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को 10 वर्ष का समय हो चूका है। अप्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वादी का वाद सिंविल प्रंकिया संहिता की धारा आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज किये जाने का निवेदन किया है। सिंविल प्रंकिया संहिता की धारा आदेश 9 नियम 8 के तहत उल्लेख किया गया है कि **"जहॉ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नही होता है वहॉ न्यायालय यह आदेश**

लगातार.................2

28/01/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

करेगा कि वाद को खारिज किया जाए। किन्तु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरूद्व डिक्री पारित करेगा और जहॉ दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो वहॉ वह वाद को वहॉ तक खारिज करेगा जहॉ तक उसका सम्बन्ध अवशिष्ट दावे से है।"

सिविल प्रंक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 की आवश्यक बातें:–

1. वाद खारिज कर दिया जावेगा। या
2. प्रतिवादी ने दावे को पुरा या उसके भाग को स्वीकार कर लिया हो, तो उस स्वीकृति के आधार पर डिक्री पारित करेगा। या
3. प्रतिवादी ने दावे का एक भाग ही स्वीकार किया हो, तो उस वाद को बाकी (अवशिष्ट) दावे की सीमा तक खारिज करेगा।

सिंविल प्रंक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत जबाब भी पूर्ण से वादी/प्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। ना ही वादी/प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद का 10 वर्ष से अधिक का समय निकल जाने के बावजूद भी कोई रूचि नही ली जा रही है। ना ही वादी/प्रार्थी के अधिवक्ता को आवाज दिलाने पर हाजिर अदालत आये।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम प्रतिवादी/अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर गौर करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सिविल प्रंक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/01/25
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला
जयपुर